



उ० प्र० राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी

चतुर्थ तल, ए-ब्लॉक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010

दूरभाष : 0522-2720360, फ़ैक्स : 0522-2721135

<http://upaidcontrol.up.nic.in>

पत्रांक : एड्स सोसा० / अधि / NACP-III/जनपद रिक्त पद / 12-13 / 752

दिनांक १ सितम्बर, 2013

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,

प्रमुख सचिव,

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन एवं

अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी,

लखनऊ।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक/प्रधानाचार्य/संस्थान प्रभारी, मेडिकल कालेज/चिकित्सा संस्थान।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, समस्त जिला चिकित्सालय (पुरुष/महिला), उ.प्र.।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

विषय: प्रदेश की जनपदीय/परिधिगत इकाइयों में राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी के सृजित संविदा पदों पर चयन हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय/महोदया,

उ० प्र० राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी के पूर्व पत्र संख्या-93732-93, दिनांक 02.01.2010 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें जिला एड्स समन्वय समिति के गठन एवं मुख्य उद्देश्यों में उ० प्र० राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी की परिधिगत इकाइयों के विभिन्न घटकों में संविदा नियुक्ति का दायित्व जिला एड्स समन्वय समिति (डी.ए.सी.सी.) को दिया गया था।

प्रदेश की विभिन्न चिकित्सा संस्थानों/इकाइयों में उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी के सृजित संविदा पदों (ब्लड बैंक-लैब टैक्नीशियन, काउन्सलर, डॉटा आपरेटर, बी.टी.वी. ड्राइवर व अटेन्डेन्ट, ब्लड मोबाइल वैन ड्राइवर व अटेन्डेन्ट, आई.सी.टी.सी./पी.पी.टी.सी.टी. केन्द्र-लैब टैक्नीशियन व काउन्सलर, ए.आर.टी./लिंग ए.आर.टी. केन्द्र -एस.एम.ओ., एम.ओ., फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, केयर को-ऑर्डिनेटर, डॉटा एनालिस्ट, डाटा मैनेजर, डॉटा आपरेटर, सैसेप को-ऑर्डिनेटर, एस.टी.आई. क्लीनिक-एस.टी.आई. काउन्सलर, डैप्कू-डी.पी.एम., एम.एण्ड ई. असिस्टेन्ट, एकाउन्ट असिस्टेन्ट, प्रोग्राम असिस्टेन्ट) पर चयन के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली चयन प्रक्रिया में भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के आधार पर एकरूपता लाने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:-

(क). चयन समिति का गठन—

क्र. सं.	चयन समिति का गठन	मेडिकल कॉलेज / चिकित्सकीय संस्थानों एवं समकक्षीय अधिष्ठानों के अधीन संविदा पदों हेतु	जिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (पुरुष/महिला) के अधीन संविदा पदों हेतु	मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन स्वास्थ्य इकाइयों/ डैप्कू के अधीन संविदा पदों हेतु
1.	अध्यक्ष	संस्थान प्रभारी / प्रधानाचार्य द्वारा नामित विभागाध्यक्ष	सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (पुरुष/महिला)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
2.	सदस्य सचिव	नोडल अधिकारी (प्रभारी आई.सी.टी.सी. / पी.पी.टी.सी.टी.एस.टी.आई., ब्लड बैंक, ए.आर.टी.)	नोडल अधिकारी (प्रभारी आई.सी.टी.सी. / पी.पी.टी.सी.टी., एस.टी.आई. ब्लड बैंक, ए.आर.टी.)	जिला क्षयरोग अधिकारी
3.	नामित सदस्य	समिति अध्यक्ष द्वारा नामित प्रतिनिधि	जिलाधिकारी (अध्यक्ष, डी.ए.सी.सी.) द्वारा नामित प्रतिनिधि	जिलाधिकारी (अध्यक्ष, डी.ए.सी.सी.) द्वारा नामित प्रतिनिधि
4.	विशेषज्ञ सदस्य** (केवल तकनीकी पदों हेतु)	समिति अध्यक्ष द्वारा नामित प्रतिनिधि	अध्यक्ष / डी.ए.सी.सी. द्वारा नामित प्रतिनिधि	अध्यक्ष / डी.ए.सी.सी. द्वारा नामित प्रतिनिधि
5.	विशेष* आमन्त्री	उ.प्र. राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी प्रतिनिधि	उ.प्र. राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी प्रतिनिधि	उ.प्र. राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी प्रतिनिधि
चयन प्रक्रिया का अनुमोदन		संस्थान प्रभारी / प्रधानाचार्य, सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान द्वारा।	जिलाधिकारी / अध्यक्ष, डी.ए.सी.सी. द्वारा	

** उ.प्र. राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिनिधि विज्ञापन प्रकाशित होने तथा साक्षात्कार की तिथि नियत होने के पश्चात ही नामित किया जाएगा। अतः चयन समिति का गठन उ.प्र. राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी के प्रतिनिधि के अभाव में रोक नहीं जाएगा।

* केवल तकनीकी पदों हेतु, यदि चयन समिति में कोई अन्य विशेषज्ञ नहीं है।

(ख). चयन प्रक्रिया:—

- चयन समिति के गठन का प्रस्ताव, चयन की प्रक्रिया, विज्ञापन, अभ्यर्थियों की शार्ट लिस्टिंग आदि कार्य सदस्य सचिव द्वारा किया जायेगा। अधिक से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त करने हेतु संस्थान द्वारा स्थानीय स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से विज्ञापन दिया जाएगा। साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी से सम्बन्धित विवरण, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि से

संतुष्ट होने की स्थिति में ही साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। प्रयास किया जाए कि प्रत्येक संविदा पद हेतु तीन अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित हों। यदि अभ्यर्थी कम हों तो समिति द्वारा विचार किया जा सकता है, बशर्ते उपलब्ध अभ्यर्थी वांछित अर्हता रखता हो।

2. चयन समिति द्वारा चयनित एवं अधिकतम तीन प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की सूची तैयार करते हुए एक प्रति उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी के सम्बन्धित अनुभाग को उपलब्ध कराई जायेगी। प्रतीक्षा सूची अनुमोदन की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी।

नोट: उक्त आदेश इस पत्र की तिथि से प्रभावी होंगे परन्तु जिन प्रकरणों में चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाला जा चुका है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

 भवदीप,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव/अध्यक्ष

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त निदेशक/कार्यक्रम प्रभारी (बेसिक सर्विसेज/सी.एस.टी./रक्त सुरक्षा अनुभाग), उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, लखनऊ।
2. जिला क्षय रोग अधिकारी/एड्स कार्यक्रम अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
3. नोडल अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, आई.सी.टी.सी./पी.पी.टी.सी.टी., एस.टी.आई., ब्लड बैंक, ए. आर.टी. केन्द्र, सम्बन्धित चिकित्सालय/संस्थान।
4. गार्ड फाइल।


(आशीष कुमार गोयल)
परियोजना निदेशक